



ग्रेडिंग युक्त प्रमाण पत्र

विधालय का नाम:

LBS

| विद्यालय प्रवेशांक | गामांक | ब्लॉक जिला | | विद्यालय डायन्म कोड |
|--------------------|--------|------------|-----------|---------------------|
| 1224 | 11056 | E | Ahmedabad | 1100666 |

निजी विद्यालय की निश्यित में मान्यता क्रमांक :

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री ali asgar

पिता श्री ali asgar जन्म तिथि (अंकों में) 10-Apr-98

(शब्दों में)

ने सत्र

में निम्नानुसान प्राथमिक शिह्ना अधिगम स्तन प्राप्त किया है।

| क्र.सं. | विषय एवं आकलन सूचक | समेकित ग्रेड (सैद्धांतिक + सत्रांक के आधार पर) | | |
|---------|---|--|--|--|
| 1. | हिन्दी (पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना (गद्य एवं पद्य) व्यावहारिक व्याकरण सृजनात्मक अभिव्यक्ति, परिवेशीय सजगता) | Ċ | | |
| 2. | अंग्रेजी (Lexical Items, Structural Items, Reading Comprehension, Writing) | D | | |
| 3. | गणित (आकृति व स्थान की समझ, संख्या ज्ञान की समझ, संक्रियाओं की समझ, मापन की समझ, आँकड़ों का प्रबन्धन व पैटर्न की समझ) | D | | |
| 4. | पर्यावरण अध्ययन (अवलोकन व दर्ज करना, सम्प्रेषण कौशल (अभिव्यक्ति/चर्चा), वर्गीकरण करना, व्याख्या/विश्लेषण करना, प्रश्न करना, प्रयोग करना, न्याय व समता के प्रति सरोकर, एक-दूसरे के कार्यों का सम्मान व गुणों की प्रशंसा करना) | A | | |
| 5. | संस्कृत / उर्दू (संस्कृत शिक्षा विभाग के विद्यालयों / मदरसा हेतु) | D | | |
| | औसत ग्रेड | D | | |
| 6. | कला शिक्षा | D | | |
| 7. | कार्यानुभव | Α | | |
| 8. | स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा | В | | |

क्थानः Chittorgarh

दिनांक: 16-may-2023

मंक्था प्रधान मय मील

विशेष विवरण

- 1. विद्यार्थी को 20 प्रतिशत आंतरिक (सत्रांक) एवं 80 प्रतिशत बाह्य मूल्यांकन (सैद्धांतिक) के आधार पर विषयवार समेकित ग्रेड दी गर्ड है।
- 2. समेकित ग्रेड का श्रेणीकरण 5 पॉईंट स्केल के आधार पर निम्नानुसार किया गया है -

| ग्रेड | A+ | Α | В | С | D |
|--------------|--------|-------|-------|-------|------|
| अंक निर्धारण | 91-100 | 76-90 | 61-75 | 41-60 | 0-40 |

- 3. कला शिक्षा, कार्यानुभव तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विषय के लिए विद्यालय स्तर पर शैक्षिक कार्य एवं गतिविधियों के सतत आकलन के आधार पर उक्त 5 पॉईंट स्केल पर आधारित ग्रेड दी गई है।
- 4. इस मूल्यांकन व्यवस्था में कृपांक का प्रावधान नहीं है।
- 5. आर.टी.ई. 2009 के तहत विद्यार्थी को विद्यालय में नियमित शिक्षण करना हैं अतः इस परीक्षा में स्वयंपाठी विद्यार्थी हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- 6. इस मूल्यांकन में पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था का प्रावधान नहीं रखा गया है। लेकिन पुनर्गणना का प्रावधान है।

पनीक्षार्थी के हनताक्षर

ह्क्ताह्मन संक्था प्रधान मय सील